संख्या:6/2025/30/35-3-2025-1(32)/2016

प्रेषक,

जे0एल0 यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2025

विषयः गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनु0 परिषद, नई दिल्ली द्वारा वेतन मद (ओएच 36) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश रू0 1,10,42,000/- की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 5/2025/28/35-3-2025-1(32)/2016, दिनांक 29.03.2025 द्वारा संस्थान को राज्यांश के रूप में धनराशि रू01,10,42,000/-की स्वीकृति प्रदान की गयी है उक्त शासनादेश के प्रस्तर 4 में अंकित निम्न संख्या व दिनांक त्रुटिपूर्ण है:-

"FINRMS से प्राप्त अशासकीय संख्या- E-5-332-X-2024-25-दिनांकः28-3-2025"

2. उक्त त्रुटि के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर 4 में अंकित त्रुटिपूर्ण अंश के स्थान पर निम्न अंश पढ़ा जाए:-

"FINRMS से प्राप्त अशासकीय संख्या-E-5-341-X-2024-25-दिनांकः30-3-2025"

3. उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाए।

भवदीय,
जे0एल0 यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या- 06/2025/30/35-3-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
8. सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं0- 10580, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. नियोजन अनुभाग-1
12. गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,
जे0एल0 यादव
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in